

कार्यालय केन्द्रीय नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय बागपत।

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 की शेष अवधि के लिये जनपद न्यायालय बागपत के बाहर प्रस्तावित स्थल प्रतीक्षालय के समीप अस्थायी कैंटीन हेतु स्थान आवंटन की नीलामी अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 20.09.2025 को अपराह्न 04:00 बजे खुली बोली द्वारा जनपद न्यायालय बागपत के सभागार कक्ष में होना नियत है।

इच्छुक व्यक्ति अस्थायी कैंटीन हेतु स्थान आवंटन के ठेके की नीलामी में भाग लेने हेतु दिनांक 20.09.2025 से पूर्व केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय बागपत में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उक्त से सम्बन्धित सभी जानकारी जनपद न्यायालय बागपत की वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/baghpatt> एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर देखी जा सकती है।

दिनांक:-04.09.2025

(पवन कुमार राय)

अध्यक्ष,

ठेका नीलामी समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय संख्या-01 बागपत।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. जिला सूचना अधिकारी बागपत को जी0ओ0 संख्या-562/उत्तीस 2 2007-1007(टी0सी0) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में नीलामी की विज्ञप्ति निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
02. कार्यालय जिलाधिकारी महोदय बागपत।
03. कार्यालय तहसील सदर बागपत, खेकड़ा तथा बड़ौत।
04. कार्यालय नगर पालिका परिषद बागपत एवं जिला अस्पताल बागपत एवं अन्य सूचना पट पर चस्पा हेतु।
05. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला बागपत की वैधानिक वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।

(पवन कुमार राय)

अध्यक्ष,

ठेका नीलामी समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय संख्या-01 बागपत।

अस्थायी कैटीन हेतु नीलामी समिति का कार्यवृत्त, जनपद न्यायालय बागपत।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 28.08.2025 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2025-2026 की शेष अवधि के लिये जनपद न्यायालय बागपत की बाहर वादकारियों हेतु प्रतीक्षालय भवन के समीप रिक्त स्थान में अस्थायी रूप से कैटीन के संचालन हेतु नीलाम समिति की बैठक आज दिनांक 04.09.2025 को समय 01:30 बजे सम्पन्न हुयी। बैठक में नीलाम समिति के सदस्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत श्री रत्नम श्रीवास्तव एवं सिविल जज जूनियर डिवीजन/त्वरित न्यायालय श्री रजनीश कुमार द्वितीय उपस्थित आये।

जनपद न्यायालय बागपत में वादकारियों, अधिवक्ताओं व कर्मचारीगण के खान-पान की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार प्रतीक्षालय भवन के समीप रिक्त स्थान में अस्थायी रूप से कैटीन के संचालन हेतु समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। समिति की राय में जनपद न्यायालय बागपत में काफी संख्या में वादकारीगण व अधिवक्तागण का आवागमन होता है। जनपद न्यायालय बागपत में कैटीन न होने के कारण वादकारीगण, अधिवक्तागण व कर्मचारीगण को खान-पान से सम्बन्धित काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उक्त के दृष्टिगत समिति की राय में वर्तमान में एक अस्थायी कैटीन का संचालन आवश्यक है। समिति द्वारा प्रतीक्षालय भवन के समीप रिक्त स्थान में एक अस्थायी कैटीन का संचालन किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है।

समिति द्वारा कैटीन संचालन हेतु नियम, शर्तें व कैटीन की नीलामी हेतु विचार विमर्श किया गया। समिति द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन कैटीन संचालन का निर्णय लिया गया। नीलामी में भाग लेने के लिये सभी जानकारी जनपद न्यायालय बागपत की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/baghpat> एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.allahabadhighcourt.in पर नोटल अधिकारी बागपत के द्वारा अपलोड करायी जायेगी तथा इच्छुक व्यक्तियों द्वारा इसको कभी भी देखा जा सकेगा व जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। किसी भी व्यक्ति/फर्म द्वारा केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय बागपत से उक्त नीलामी के संबंध में जानकारी की जा सकती है एवं फार्म दिनांक 19.09.2025 को दोपहर 01.00 बजे से पूर्व प्राप्त किये जा सकते हैं। नीलामी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की स्वीकृति के उपरान्त दिनांक 20.09.2025 को खुली बोली द्वारा जनपद न्यायालय बागपत के सम्मेलन कक्ष में समय सायं 04:00 बजे सम्पन्न की जायेगी।

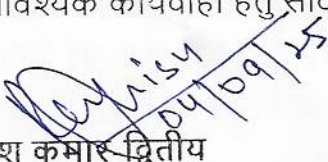
नीलामी की शर्तें निम्नवत है:-

1. अस्थायी कैटीन हेतु स्थान का आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-2026 की शेष अवधि 22 सितम्बर 2025 से 31 मार्च 2026 के लिये होगा।
2. जिस व्यक्ति/फर्म के ओर जनपद न्यायालय बागपत में स्थित अस्थायी दुकानों हेतु स्थान एवं कार व मोटर साईकिल पार्किंग के किराये से सम्बन्धित धनराशि बकाया है उसको या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति स्थान आवंटन प्राप्त कर भी लेता है तो इसकी जानकारी होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त आवंटन की पुनः बोली करायी जा सकेगी।
3. न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
4. अस्थायी कैटीन हेतु आवंटित स्थान पर केवल खान-पान से सम्बन्धित कार्य ही किया जायेगा साथ ही अस्थायी कैटीन संचालक को खाने की वस्तुओं की गुणवत्ता का ध्यान रखना होगा। खराब खान-पान प्रस्तुत करने की स्थिति में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को स्थान आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को पहचान पत्र(आधार कार्ड) की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
6. वित्तीय वर्ष 2025-2026 की शेष अवधि के लिये अस्थायी कैटीन हेतु स्थान आवंटन की बोली अलग - अलग व्यक्ति/फर्म द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

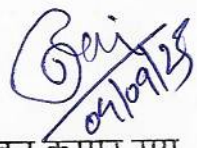
7. वित्तीय वर्ष 2025-2026 की शेष अवधि हेतु अस्थायी कैंटीन हेतु स्थान आवंटन की न्यूनतम बोली 20000/- रुपये से आरम्भ की जायेगी।
8. जिस व्यक्ति/फर्म के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति/फर्म अस्थायी कैंटीन स्वयं चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी या अन्य को किसी को हस्तान्तरित नहीं करेगा। उपरोक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार से होने पर आवंटन निरस्त कर जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी।
9. नीलामी में अधिकतम बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/फर्म के पक्ष में नीलामी स्वीकृत होगी।
10. नीलामी की बोली स्वीकृत होने के उपरान्त व्यक्ति/फर्म को बोली की धनराशि का 50% तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि को दो किस्तों में 01 मार्च 2026 से पूर्व जमा करनी होगी। धनराशि जमा न करने की स्थिति में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह नियमानुसार कार्यवाही कर आवंटन को निरस्त कर सकते हैं।
11. अस्थायी कैंटीन हेतु स्थान के आवंटी व्यक्ति/फर्म को अपने आवंटित अस्थायी कैंटीन के स्थान के आस-पास की नियमित रूप से साफ-सफाई स्वयं करनी होगी। अस्थायी कैंटीन हेतु स्थान के पास स्थित टायलेट्स की नियमित सफाई भी आवंटी को ही करानी होगी।
12. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं या प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा भौतिक स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। अस्थाई कैंटीन के आसपास सफाई न पाये जाने पर अस्थाई कैंटीन का आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
13. व्यक्ति/फर्म को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह अस्थायी कैंटीन हेतु आवंटित स्थान पर कोई स्थायी निर्माण नहीं करेगा न ही आवंटित स्थान का प्रयोग किसी गैर-कानूनी कार्य के लिये करेगा।
14. व्यक्ति/फर्म को उक्त सभी शर्तों का पालन करने के सम्बन्ध में अंकन 100/- रुपये के स्टॉम्प पर एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उलंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत महोदय को यह अधिकार होगा की शासकीय धनराशि के नुकसान को दृष्टिगत रखते हुये वसूली उससे या उसकी सम्पत्ति से करा दें तथा किसी भी समय आवंटन निरस्त कर दें।

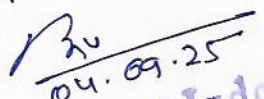
उपरोक्त नीलामी की शर्तें माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


रजनीश कुमार द्वितीय
 सदस्य ठेका नीलामी समिति/
 सिविल जज जू0 डिवीजन/त्वरित,
 बागपत।


रत्नम श्रीवास्तव
 सदस्य ठेका नीलामी समिति/
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 बागपत।


पवन कुमार राय
 अध्यक्ष ठेका नीलामी समिति/
 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 त्वरित न्यायालय संख्या-01 बागपत।

Approved -


 04.09.25
District Judge
Baghat